[illegible]3/25

प्रार्थी पेश / प्रतिवादी पटवार उप० डायरी
का अवलोकन किया पटवार रिपोर्ट पेश जाता है
निर्णय प्रकरण दिनांक लिखा जाकर
[illegible] शामिल किया जाकर पत्रावली [illegible]
पत्रावली शामिल [illegible] पत्रावली
मुताबिक नियमानुसार [illegible] शामिल
सेवा [illegible] [illegible] शामिल

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2025	16.05.2025	06.03.2026

अनुवान

1. किशोरी लाल यादव पुत्र श्री बिडदीचन्द
2. प्रकाशचन्द यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव
3. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री बिडदीचन्द जातियान अहीर निवासीयान बेहरोज की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी अजीजपुर तह0 मुण्डावर
2. नरेन्द्र पुत्र रामेश्वर
3. बबलू पुत्र रामेश्वर
4. मंजू देवी पत्नी बबलू
5. कृष्णा देवी पत्नी मक्खनालाल
6. तारा देवी पत्नी सुरेशचन्द
7. दलबीर
8. सुरेन्द्र पुत्रान मक्खनलाल
9. मनीषा पुत्री मुकेश
10. सीमा पुत्री मुकेश
11. मोनू पुत्र मुकेश
12. बीना पत्नी मुकेश जातियान अहीर निवासीयान अजीजपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. वेदप्रकाश पुत्र किशनलाल
14. योगेश पुत्र किशनलाल जातियान अहीर निवासीयान बेहरोज की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

16. गोरधन पुत्र मंगतूराम
17. देशराज पुत्र मंगतूराम
18. दिनेश पुत्र मंगतूराम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

19. बिलेन्द्र पुत्र मंगतूराम
20. भुतेरी पुत्री मंगतूराम
21. रमेशचन्द पुत्र मंगतूराम जातियान अहीर निवासीयान बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
22. जयन्त पुत्र सतपाल
23. प्रीति पुत्र सतपाल
24. मोनिका पुत्री सतपाल जतियान अहीर निवासीयान असलीमपुर तह0 तिजारा जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

दिनांक :— 06.03.2026

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि आराजी ख0न0 606 रकबा 0.47 हैक0 वाके ग्राम बेहरोज के तरफ उत्तर में स्थित अन्य ख0न0 303 जो वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा राज0 में स्थित है। आराजी ख0न0 606 व 612 वाके ग्राम बेहरोज जो प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जो उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त आराजी ख0न0 606 रकबा 0.47 हैक0 के राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थीगण के परिवार के लोगो के नाम का अंकन दर्ज है जो पारिवारिक सहमति व मौखिक तबादला के आधार पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है राजस्व रिकार्ड में जिनका नाम दर्ज है वो लोग रास्ते हेतु सहमत है आ0 ख0न0 612 वाके बेहरोज आराजी मिन प्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त हुई है जो आराजी मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के खातेदारी की आराजी है लेकिन उक्त ख0न0 बंटवारा में प्रार्थीगण के हिस्से आयी हुई है तथा ख0न0 606 में से आवागमन सहमति से हो रहा है ख0न0 606 पर 40 वर्ष से बिना किसी एतराज के शान्तिपूर्वक कब्जा हमारा है रिकोर्डेड खातेदारों वेदप्रकाश, योगेश पुत्र किशनलाल अप्रार्थी न0 13 व 14 तथा अन्य सहखातेदारों के हिस्से ख0न0 606 के बदले दूसरी आराजी आयी हुई है इसलिए मिन प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया जा रहा है।
3. यह है कि मिन प्रार्थी अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा उक्त आराजी के तरफ दक्षिण में लगते हुये ख0न0 612, 624 स्थित है ख0न0 624 में मिन प्रार्थीगण करीब 40 वर्ष पूर्व से रिहायसी मकानात बनाकर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल—तिजारा)

निवास कर रहे है तथा सन् 1983 से कुआ बनाकर व बिजली कनैक्शन लेकर खेल बनाकर सभी खेतो में सिचांई करते आ रहे है तथा मिन प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी ख0न0 606 तक पहुंचने के लिए, जाने के लिए आराजी ख0न0 303 रकबा 0.24 हैक्0, वाके ग्राम अजीजपुर तह0 मुण्डावर के पश्चिमी डोल के साथ–साथ 15 फुट चौडाई के रास्ते से आवागमन करते रहे है प्रार्थी को अपनी आराजी तक आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है।

4. यह है कि हम प्रार्थीगण के हिस्से में आयी आराजी ख.न. 606 रकबा 0.47 हैक्0 वाके ग्राम बेहरोज जिसकी मुख्य सड़क से 100 फुट लम्बाई व 15 फुट चौडा रास्ता दिया जाने से सबसे निकटतम/छोटे से छोटा व सुगम रास्ता है हम प्रार्थीगण उक्त रास्ते में आयी भूमि के बदले भूमि या भूमि का डी0एल0सी0 रेट से दोगूनी राशि अदालत श्रीमान के आदेशानुसार देने को तैयार है।

5. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी ख0न0 606, 612 वाके ग्राम बेहरोज तक पहुंचने तथा कृषि भूमि में आने जाने व कुए पर साधन ले जाने तथा प्रार्थीगण के खेतो में फसल काश्त करने हेतु आने जाने के लिये कोई रिकोर्डेड रास्ता नही है लेकिन पिछले 40 वर्ष पूर्व से मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में ट्रैक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी व अन्य वाहन इत्यादि वो घरेलू आवश्यकता के अनुसार साधन व खेती का सामान व साधन प्रार्थीगण अपने ख0न0 606 जो ग्राम बेहरोज की सीमा में स्थित है के तरफ उत्तर में स्थित अजीजपुर की सीमा का ख0न0 303 की पूर्वी डोल के साथ आते जाते रहे है लेकिन अब हाल ही में अप्रार्थीगण ख0न0 303 वाके ग्राम अजीजपुर की पूर्वी डोल के साथ सीमेन्ट के ब्लॉक लगाकर उस पर टीन सेड बना दिया इस कारण अब पश्चिमी डोल के साथ से आम सडक अलवर–बहरोड़ से अपने खेतों (जोतो) तक पंहुचते रहे है आवागमन करते रहे है।

6. यह है कि प्रार्थी की आराजी ख0न0 606 के तरफ उत्तर में साथ लगती हुयी आराजी ख0न0 303 है जो आराजी अप्रार्थी न0 1 ल0 12 की आराजी है जो आराजी मैन हाईवे बहरोड़ से अलवर जाने वाले मैंन रास्ते पर स्थित है तथा मिन प्रार्थी आराजी ख0न0 303 की पश्चिमी डोल के साथ–साथ रास्ता 15 फुट में से अपनी आराजी में काश्त कार्य हेतु ख0न0 606 तक आवागमन करते रहे है तथा उसके आगे अपने स्वयं के खेतो में से अपने अन्य कृषि जोतो एंव रिहायसी मकान व ट्यूवैल कुआ तक पहुंचते रहे है। लेकिन उक्त रास्ता रिकोर्डेड रास्ता नही है इस कारण से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण को ताने मारते रहते है तथा प्रार्थीगण को अपने रिहायसी मकानात तक आने जाने व फसल बोने के समय अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को आवागमन नही करने देते है तथा दिनांक 29/04/2025 को धमकी दी कि रास्ता बंद किया जायेगा इसलिए मिन प्रार्थी को 15 फुट चौडा, आराजी ख0न0 303 की पश्चिमी डोल के सहारे सहारे दिलाया जाने व नया रास्ता कायम किया जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के तहत पेश करना आवश्यक आया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि पिछले 40 वर्षो से मिन प्रार्थी ख0न0 303 वाके अजीजपुर में से बिना किसी रोक टोक के आवागमन करते रहे है मिनप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से जमीन के बदले जमीन देने व उक्त रास्ते को रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए कई बार कहा लेकिन अप्रार्थीगण अपने अच्छे सम्बंधो की दुहाई देते रहे और रास्ता कभी बंद नही करने की बात कहते रहे लेकिन अब दिनांक 29/04/25 को अप्रार्थीगण ने ख0न0 303 वाके अजीजपुर की पश्चिमी डोल के साथ स्थित 15 फुट चौडे रास्ते की जुताई कर दी और मिन प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के खेतो तक आने जाने से अवरूद्ध कर दिया यहां तक की मिन प्रार्थीगण का भाई/पिता गम्भीर बिमारी कैंसर से पीड़ित है जिसको बार–बार डॉक्टर के पास ले जाना पडता है कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को जब कल दिनांक 5/05/2025 को डॉक्टर के पास ले जा रहे है तो खाली खेत में से नही निकालने दिया जबकि मानवता के नाते खड़ी फसल में से भी ऐसी गम्भीर बिमारी/ऐसी गम्भीर स्थिति में कोई व्यक्ति जाने से नही रोकता तथा दिनांक 5/05/2025 को प्रार्थीगण के भाई/पिता को ले जाने से रोकते हुये ऐलानिया धमकी दी कि चाहे तुम अपने मरीज को सिर पर बैठा कर या हवा में उड़ा कर ले जाओ लेकिन हमारे खेत में पैर नही रखोगे जबकि मिन प्रार्थीगण के अधिकार कानूनन सुरक्षित है और अपने अधिकारों के रक्षार्थ प्रार्थना पत्र 251ए पेश करना आवश्यक आया है।

8. यह है कि मिन प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि/कृषि जोतो ख0न0 606 व अन्य ख0नम्बरान तक पहुंचने के लिए विवादित रास्ते ख0न0 303 वाके अजीजपुर की पश्चिमी डोल के साथ 15 फुट चौडे व करीब 100 फुट लम्बाई के रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है विवादित रास्ता/प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 606, 612 वाके ग्राम बेहरोज तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतक/छोटे से छोटा व सुगम रास्ता है इसलिए प्रार्थीगण ख0न0 303 वाके ग्राम अजीजपुर की पश्चिमी डोल या पूर्वी डोल के साथ–साथ 15 फुट चौडा रास्ता कायम कराने का अधिकारी है।

9. यह है कि प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 29/04/2025 को अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण का रास्ता बन्द करने से व रास्ता नही देने व रास्ते में तारबन्दी कर पक्का निर्माण करने की ऐलानिया धमकी देने व दिनांक 5/05/2025 को प्रार्थीगण के भाई/पिता जो गम्भीर बिमारी से पिड़ित है को डॉक्टर के पास खेत ख0न0 303 में से ले जाने से रोक देने से पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

10. यह है कि आराजीयात वाके ग्राम बेहरोज व अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 303 वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र अदालत हाजा के अख्तयार समाअत हासिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

11. यह है कि अप्रार्थीगण का सहखातेदार मक्खनलाल फौत हो चुके है इसलिए उनके विधिक वारिसान अप्रार्थी न0 5 व 7 ल0 12 को पक्षकार बनाया गया है। तथा ख0न0 606 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किशनलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार संख्या 13 व 14 बनाया है।

12. यह है कि प्रार्थना पत्र नया रास्ता कायम किये जाने हेतु पेश किया जा रहा है। इसलिए भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा0दी0 दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन प्रार्थना पत्र अर्जेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा0 फौ0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 606 व 612 व अन्य कृषि भूमि ग्राम बेहरोज में स्थित है तक पहुंचने के लिए ख0न0 606 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर में स्थित है में से आवागमन हेतु काश्तकारों की सहमति है लेकिन प्रार्थीगण को अपने कृषि कार्य हेतु साधन लाने ले जाने व फसल काटने बोने हेतु अप्रार्थी स0 1 ल0 12 की आराजी ख0न0 303 वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर में से 100 फुट लम्बाई व 15 फुट चौडा, का नियमानुसार कीमत जमा कराने या रास्ते की भूमि के बदले भूमि प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को दिये जाने के आदेश करते हुये उक्त आ0 के पश्चिमी डोल या पूर्वी डोल के सहारे सहारे दिलाया जाने या न्यायोचित रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

मूलतः यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2025 को धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता रिकार्ड में कायम किये जाने हेतु पेश किया गया था। तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई।

प्रार्थीगण का विविध राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2025 पर दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीसिंह यादव उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6, 8,12 की ओर से श्री हंसराज यादव उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 व 14 की ओर से श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 07, 09 लगायत 12 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

लगायत 24 की बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06, 08, 12 की ओर से जबाव निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा स० 1 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थना पत्र में आराजी ख०न० 303 ग्राम अजीजपुर तह० मुण्डावर में स्थित है जो अप्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा ख0न0 607 व 608 ग्राम बेहरोज में स्थित है जो अन्य सहकाश्तकारो की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। प्रार्थी का उक्त आराजी में राजस्व रिकोर्ड में कोई अंकन नहीं है। यह आराजी अन्य सहकाश्तकार गोरधन पुत्र मंगतूराम जयन्त पुत्र सतपाल, देशराज पुत्र मंगतू, दिनेश पुत्र मंगतू, प्रीति पुत्री सतपाल, बिलेन्द्र पुत्र मंगतूराम, भूतेरी पुत्री मंगतू मोनिका पुत्री सतपाल, रमेशचन्द पुत्र मंगतू, देवकरण पुत्र लक्ष्मणराम दिनेश पुत्र रामपाल, राकेश पुत्र जयपाल शंकुन्तला पुत्री रामपाल, सरबती देवी पत्नि रामपाल की आराजी है। तथा काश्तकार किशनलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। किशनलाल के वारीसान रीना पुत्री किशनलाल, कविता पुत्री किशनलाल, धन्नी देवी पत्नि किशनलाल, राजबाला पत्नि किशनलाल को पक्षकार नही बनाया इसलिए प्रार्थना पत्र मैनटीनेबल नही है काबिले खारिज है। जिम्मन न० 1 में प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज किये है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा स० 2 गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र के जिम्मन न० 2 में प्रार्थी ने सारे तथ्य गलत दर्ज किये है। ख0न0 607, 608 में 16 सहकाश्तकार है तथा इनमें से प्रार्थी ने किसी को पक्षकार नही बनाया और ना ही इन सहकाश्तकारो कि सहमति प्रार्थना पत्र में साथ पेश की है। तथा उक्त आराजी ना तो रिकोर्ड में प्रार्थी का अंकन है तथा ना ही प्रार्थीगण उक्त ख०न० पर काबिज है। प्रार्थी ने जिम्मन न0 2 में सारे तथ्य झूठे व बेबुनियाद दर्ज किये है। इसलिए काबिले खारिज है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन न० 3 गलत है स्वीकार नही है आराजी ख0न0 612,613 पुराने रिकोर्ड में गैर मुम्कीन जोहड है जो अब्दूल रहमान बनाम राज्य रकार प्रकरण से प्रतिबंधित है जिसको हाल रिकोर्ड में राजस्व कर्मचारियो ने आपस में प्रार्थीगण से साजबाज होकर गैर मु० जोहड को प्रार्थीगण व अन्य सहकाश्तकारो को गैर खातेदार दर्ज कर दिया तथा ख0न0 613, 618, 624, 617 आपस में लगते हुऐ है तथा ख0 न0 613, 618, 624, 617 गैर मु0 रास्ता ख0न0 2888/665 के नजदीक पडते है। तथा वहा से दुरी भी कम पडती है प्रार्थीगण आम रास्ता ख0न0 2888/665 से ही उक्त ख०नम्बरान में आते जाते रहे है। प्रार्थीगण ख0न0 624 में मकान बना रखे है तथा ख0न 624 व ख0न0 617 प्रार्थीगण की आराजी है। जो गैर मु0 रास्ता ख0न0 2888/665 से ख0न0 2889/665 से लगती हुई है। और इसी से प्रार्थीगण अपनी आराजी के लिए आवागमन करते है। नियुन्तम दुरी भी यही से पडती है। तथा ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

303 ग्राम अजीजपुर में पडती है जो प्रार्थीगण की आराजी है। जिसमें से रास्ता चाह रहे है उससे लगती हुई आराजी ख0न0 607, 608 ग्राम बेहरोज में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है और ना ही प्रार्थीगण ख0न0 607, 608 में खातेदार काश्तकार है। और ना ही कोई उक्त आराजी से कोई लेना देना है। ख0न0 303 स्टेट हाईवेज अलवर–बहरोड से लगती हुई आराजी है। और उसके साथ में पी. डब्लू डी की आराजी है, प्रार्थीगण ने ना तो स्टेट हाईवेज अर्थोटी व ना पी.डब्लू डी को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। इसलिए बिना स्टेट हाईवेज अर्थोटी व पी.डब्लू. डी व ख0 न0 607, 608 के काश्तकारो को सुने बिना प्रार्थना पत्र मैंटीनेबल नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा स0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी ख0न0 607, 608 में प्रार्थी ना तो काश्तकार है और ना ही राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण का नाम है। प्रार्थीगण ने ख0न0 607, 608 के काश्तकारो को पक्षकार नही बनाया गया है। तथा ख०न० 303 अप्रार्थीगण की काश्त की आराजी है। जो स्टेट हाईवे से लगती हुई आराजी हैं। और स्टेट हाईवेज के पास आराजी ख0न0 303 की बाजार कीमत 5 करोड रू0 प्रतिबीघा है। और ख0न0 303 में सात सहकाश्तकार है। जिसमें सभी सहकाश्तकारो की केवल 3–3 ऐयर जमीन आती है। और उक्त आराजी से स्टेट हाईवेज व पी.डब्लू.डी. की आराजी लगती है। इसलिए स्टेट हाईवेज अर्थोटी व पी. डब्लू.डी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। जिससे लिए उक्त जिम्मन स्वीकार नही है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन न0 5 जिस कदर बयान किया गया है स्वीकार नही है प्रार्थीगण ने ख0न0 624 में मकान बना रखे है। और ख0न0 624 आराजी ख0न0 617 से लगता हुआ है। दोनो ख0 न0 प्रार्थीगण के है। और ख0न0 617 में प्रार्थीगण आम रास्ता ख0न0 2888/665 से आवागमन करते है। आम रास्ता ख0न0 2888/665 से प्रार्थीगण ख0न0 617, 624, 618, 613, 612 में जाते रहे है। ख0न0 612 पूर्व में साबिक रिकोर्ड में गैर मु० जोहड है। और ख0न0 606, 607, 608 प्रार्थीगण के ख0न० नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण अपने ख0न0 624, 617, 618, 613 में आम रास्ता ख0न0 2888/665 से आवागमन करते है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने तथा अप्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की नियत से स्टेट हाईवे से रास्ता मांग रहे है। जबकि छोटा रास्ता आम रास्ता ख0न0 2888/665 से लगता है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन न० 6 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 607 नहीं है। और ना ही ख०न० 607 के प्रार्थीगण काश्तकार है। ख०न० 607 के काश्तकार किशनलाल गोरधन जयन्त, देवकरण, देशराज, दिनेश पुत्र मंगतू दिनेश पुत्र रामपाल, पूनम, प्रीती, बिलेन्द्र, भूतेरी मोनिका, रमेशचन्द, राकेश सरबती व शकुन्तला है तथा उक्त काश्तकारो की गैर खातेदारी की आराजी है। उक्त काश्तकार ना तो प्रार्थीगण है ना ही अप्रार्थीगण है। और ना ही इनको पक्षकार बनाया

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

गया है। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार उक्त काश्तकारो को सुना जाना आवश्यक है। उक्त काश्तकारो की बिना सुने प्रार्थना पत्र मैंटीनेबल नहीं है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के खिलाफ है। जबकि प्रार्थीगण के ख0न0 624, 617, 613, 618 में प्रार्थीगण आम रास्ता ख0 न0 2888/665 से आवागमन करते आ रहे है तथा दिनाक 29/4/2025 की घटना प्रार्थीगण ने जो दर्ज की है वो बेबुनियाद है प्रार्थीगण दिनांक 29/4/2025 को अप्रार्थीगण से कभी मिले ही नही इसलिए दिंनाक 29/4/2025 की कहानी झूठी व मनघंडत दर्ज की है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन न० 7 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थना पत्र का जिम्मन न० 7 में प्रार्थीगण ने मनघंडत व झूठी कहानी दर्ज की है। प्रार्थीगण ने आराजी ख०न० 303 ग्राम अजीजपुर में स्थित पर से कभी कोई आवागमन नहीं किया और ना ही प्रार्थीगणो को कोई सुखाधीकार प्राप्त है। प्रार्थीगण की आराजी गैर मु0 रास्ता ख०न० 2888/665 से लगती हुई है। और इसी से आवागमन कर रहे है। और आज भी प्रार्थीगण इसी रास्ते से ख0न0 2889/665 में से आवागमन करते है। प्रार्थीगण ने आराजी ख0न0 624 में मकान बनाकर रिहायस कर रखी है। तथा ख0न0 624 से लगता हुआ ख0न0 617 है0 जो प्रार्थीगण का है। और ख0न0 617 की नियुन्तम दुरी आम रास्ता ख0न0 2888/665 से लगती है। और इसी रास्ते से प्रार्थीगण 40 साल से आवागमन कर रहे है। दिनांक 29/4/2025 व दिंनाक 5/5/2025 की कहानी प्रार्थीगण ने मनघंडत व झूठी की है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा स० 8 गलत है स्वीकार नही है। जिम्मन न० 8 में प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य दर्ज किये है। ख0न0 607, 608 प्रार्थीगण की आराजी नही है। इसलिए प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से रास्ता नही दिया जा सकता।

9. यह है कि पैरा स० 9 गलत है स्वीकार नहीं है। दिनांक 29/4/2025 व दिंनाक 5/5/2025 की कहानी मनघंडत व झूठी है। इसलिए कोई बिनायदावी बिनायमुखास्मत पैदा नही हो सकता, इसलिए काबिले खारिज है।

10. यह है कि पैरा स0 10 बाबत क्षेत्राधिकार है जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है।

11. यह है कि पैरा स0 11 काबिल गोर अदालत श्रीमान है

12. यह है कि पैरा स0 12 गलत है स्वीकार नही है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वाद दायर करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्कय होता है लेकिन प्रार्थीगण ने बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है।

अतः श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ख0न0 608, 607 के ना तो काश्तकार है ना ही राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकन है तथा ना ही प्रार्थीगण ने ख0न0 607, 608 के काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। और प्रार्थीगण स्टेट हाईवेज व पी.डब्लू डी की आराजी में से ख0 न0 303 में होते हुऐ रास्ता मांग रहे है। स्टेट हाईवेज अर्थोटी व पी.डब्लूडी को भी पक्षकार नही बनाया गया है। तथा ख0न0 612 साबिक रिकोर्ड में गैर मु0 जोहड है। जो अब्दूल रहमान

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

बनाम राज्य सरकार के केस के प्रतिबंधीत है। तथा प्रार्थीगण के अन्य ख०न० 624, 617, 618, 613 में रास्ते के लि न्युन्तम दुरी गैर मु० रास्ता ख0न0 2888/665 ग्राम बहरोज में पडती है। इसलिए प्रार्थना पत्र मैंटीनेबल नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नकल आधार कार्ड, नकल कैसर रोग रिपोर्ट पेश किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 किता –7, आनलाईन नक्शा, ब्लू प्रिट नक्शा, जमाबन्दी सम्वत 2095, गिरदावरी सम्वत 2095, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2070, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, जमाबन्दी सम्वत 2015, मेजरनामा जिला कलक्टर खैरथल की फोटोप्रति।

बहस विद्धान अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–
(1) विवादित आराजी वाके ग्राम बेहरोज, तहसील मुण्डावर में स्थित है, जिस आराजी में प्रार्थी सह खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी में आने–जाने के लिए खसरा नं0 303 में रास्ता कदीमी चालू था। मौके पर दोनो पक्षों में विवाद है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में, नक्शें में दर्ज नही है। तहसीलदार मुण्डावर के पत्रांक भू0अ0/2025/9552 दिनांक 18.11.2025 के साथ संलग्न हल्का पटवारी बेहरोज की मौका रिपोर्ट की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 के अनुसार खसरा नं0 612, 613, 606 में मोड पर ग्रवेल डालकर एक रास्ता बना हुआ है। खसरा नम्बर 612, 613 हाल राजस्व रिकोर्ड में किशोरीलाल पुत्र बिडदिया वगै0 के नाम दर्ज रिकोर्ड है।
(2) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 16.05.2025 को प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण संख्या 09/2025 पर दर्ज होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2026 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के आदेश दिए गए।

प्रार्थी काश्तकार, कृषक है, प्रार्थी खसरा नम्बर 612, 613 में कृषि करता है अन्य उपयोग नही हो रहा है। कृषक के लिए उसकी खातेदारी भूमि आजिविका का मुख्य आधार है। खेती के लिए रास्ता कृषक की आत्यान्तिक आवश्यकता है। न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाता है।

रास्ता :– अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 303 के डोल के सहारे सहारे से सार्वजनिक आम रास्ते/सडक है। व्यवहारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रास्ते 10 मीटर के प्रचलित है। राजस्व रिकार्ड में रकबा फीट या गज में दर्ज नहीं किए जाने के निर्देश है। मैट्रिक प्रणाली में ही दो दशमलव तक रकबा दर्ज किए जाने के निर्देश है। इससे भिन्न रूप में रकबे का नामान्तरकरण रिकार्ड में दर्ज योग्य नही है। रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के दो डेसिमल तक ही रखा जाने योग्य है। न्यूनतम 353 वर्ग मीटर (रास्ते की एक भुजा की लम्बाई 41 मीटर तरफ पश्चिम + रास्ते की दुसरी भुजा की लम्बाई 31 मीटर तरफ पूर्व + रास्ते की चौडाई 03 मीटर) रास्ता दिए जाने योग्य है। मौके पर संबंधित खसरो की लम्बाई निश्चित है। अतः रास्ते के रूप में दिये जाने वाले रकबे में खसरे की लम्बाई का भाग देकर रास्ते की चौड़ाई निर्धारित की जावे अर्थात रास्ते में दिए गए रकबे में लम्बाई के आनुपातिक चौडाई तय किये जाने योग्य है।

क्षतिपूर्ति :– क्षतिपूर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः खसरा नम्बर 303 में नियमानुसार निर्धारित डीएलसी दर के दो गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण, पेड, फसल आज दिन नही है। डी.एल.सी. दर की गणना कर राशी राजकोष में जमा करावें, राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन रास्ता बाबत अमल दरामद होने के पश्चात राशी नियमानुसार अप्रार्थीगण को दिलाई जावे।

राज्य सरकार ने प्रचलित रास्तो को रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में वर्तमान में अभियान चला रखा है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये है। प्रकरण उक्त परिपत्र की सीमा में भी आता है जिसके तहत स्वतः ही प्रचलित कदीमी आम रास्ते रिकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर स्थित अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

0.24 हैक0, मे से पूर्वी ढोल के साथ बना कच्चा निर्माण टीन शैड से लगता हुआ न्यूनतम 353 वर्ग मीटर (रास्ते की एक भुजा की लम्बाई 41 मीटर तरफ पश्चिम + रास्ते की दुसरी भुजा की लम्बाई 31 मीटर तरफ पूर्व + रास्ते की चौडाई 03 मीटर) सार्वजनिक रास्ते/सडक से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ स्थित आराजी खसरा नम्बर 606 में स्थिति ग्रेवल सडक से, प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 612 तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को परिशिष्ट–6 में A से B तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–6 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। मुआवजे की गणना कर राशी राजकोष में जमा कराई जावे बाद अमल राजस्व रिकोर्ड गैर मुमकिन रास्ता तहसीलदार मुण्डावर प्रतिकार का भुगतान अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार करावे। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशी जमा होने पर तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह/पत्थरगढी करते हुए पृथक से खसरा नम्बर कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश दिनांक 17/3/26 के अनुसार ~~[illegible]~~ न्यूनतम 353 वर्ग मीटर के स्थान पर 108 वर्ग मीटर पढा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक[illegible] जो इस हुक्म की ताम[illegible] में जारी हुए
6/3/26 पत्रावली पेश की। वकील पटवार उपस्थित। [illegible] वाद का अदम [illegible] में खारिज हो चुका है इसलिए इस पत्रावली की अग्रिम कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली ~~[illegible]~~ बाद तकमील नम्बर से खारिज होकर पत्रावली [illegible] नियमानुसार में शामिल हो [signature] उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	